ग्रामीण युवक समिति का विधान

ग्रामीण युवक समितियों का उद्देश्य—

(१) युवकों को वैज्ञानिक ढंग से जीवन में उपयोगी नयी विधियों को सिखाना।

(२) उनको सहकारिता, समाज सेवा तथा स्वावलम्वन का पाठ पढ़ाना।

(३) सामुदायिक विकास योजना के अधिक से अधिक कार्यक्रमों से नवयुवकों को परिचित कराना तथा योजनाओं के संचालन में उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करना।

(४) विभिन्न क्षेत्रों के युवकों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना तथा उनके विचारों का आदान–प्रदान करना।

(५) उनको विकास क्षेत्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित युवक विचार गोष्ठियों, युवक समारोहों तथा प्रशिक्षणों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना।

ग्रामीण स्तर—

ग्रामीण स्तर पर युवकों की समिति का नाम युवक मंगल दल होगा। समिति बनाने के लिये सदस्यों की संख्या कम से कम १० होनी चाहिये।

सदस्यता—

१—गाँव के १५ से ३५ वर्ष की आयु वाले युवक, जो गाँव में स्थायीरूप से रहते हैं, सदस्य हो सकेंगे।

पदाधिकारियों का निर्वाचन—

प्रत्येक युवक मंगल दल में पदाधिकारियों का वार्षिक निर्वाचन होगा, जिसकी सूचना कम से कम १० दिन पहले सदस्यों को मिल जानी चाहिये। समिति के निम्न पदाधिकारी चुने जायेंगे:—

सभापति, उप सभापति, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष।

चुनाव के अवसर पर मत देने की कार्यवाही गुप्त मतदान द्वारा होगी।

बैठकें—

प्रत्येक मास में युवक मंगल दल की कम से कम एक बैठक होगी।

विकास क्षेत्र युवक समिति—

यह समिति उन विकास क्षेत्रों में स्थापित की जायेगी, जहाँ पर युवक मंगल दलों की संख्या कम से कम १० होगी।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

सदस्तयता—

इस समिति से विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सभी युवक मंगल दल सम्बन्धित होंगे। प्रत्येक युवक मंगल दल का सभापति विकास क्षेत्र युव क समिति का सदस्य होगा। उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा मनोनीत सदस्य विकास क्षेत्र समिति में अपने दल का प्रतिनिधित्व कर सकता है। प्रति वर्ष प्रत्येक दल को विकास क्षेत्र युवक समिति के कोषाध्यक्ष के पास २ रूपया जमा करना होगा, जिसकी रसीद दी जायेगी। यह रुपया प्रति वर्ष ३० जून तक कोषाध्यक्ष के पास अवश्य पहुँच जाय, अन्यथा उस दल की विकास क्षेत्र युवक समिति से मान्यता भंग हो जायेगी। मान्यता भंग करने के पहले स्मृति—पत्र देना आवश्यक होगा।

पदाधिकारियों का निर्वाचन—

निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। निर्वाचन होने से पूर्व विकास क्षेत्र—अधिकारी सभी युवक मंगल-दलों के सभापतियों को निर्वाचन के समय, तिथि स्थान की सूचना कम से कम १० दिन पहले भेजेंगे और सूचना प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये सभापति या मंत्री के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे। निर्वाचन क्षेत्र विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। निर्वाचन तीन साल के लिये हुआ करेगा। निर्वाचन हो जाने पर भी विकास क्षेत्र के अधिकारी तथा उनके सहायकों की सहायता समिति को प्राप्त हो सकेगी। समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित होंगे:—

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री तथा कोषाध्यक्ष।

समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित होंगी। बैठक का कार्यक्रम तथा तिथि उन्हीं की अनुमति से निर्धारित की जायेगी। समिति के मंत्री बैठक बुलायेंगे, बैठक की सूचना सदस्यों के पास भेजेंगे, कार्यवाही लिखते रहेंगे और समिति के वार्षिक अधिवेशन की संस्तुतियों को समुचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों के पास भेजेंगे। अध्यक्ष और मन्त्री की अनुपस्थिति में क्रमश: उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री वही कार्य सम्पादित करेंगे। अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के लिये समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा।

कोषाध्यक्ष क्षेत्र के दलों से प्राप्त धनराशि को पाने की तिथि से तीन दिन के अन्दर डाकखाने आदि में जमा कर देंगे। कोषाध्यक्ष धनराशि की वृद्धि के लिये सतत् प्रयास करेंगे, आमदनी और खर्च का ब्यौरा प्रतिमास तैयार करते रहेंगे तथा अपने पूरे हिसाब—किताब की समिति के अध्यक्ष तथा मंत्री द्वारा जांच करा लेंगे।

बैठक—

समिति की बैठकें वर्ष में दो बार होंगी। ये बैठकें जून के मध्य में तथा दशहरे के अवसर पर होंगी। बैठक की सूचना निर्धारित तिथि से १० दिन पहले दलों को भेज दी जायेगी।

कोरम—

बैठकों के अवसर पर कुल सदस्यों की संख्या में से एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। स्थगित बैठकें बिना कोरम पूरा हुये भी कार्यवाही कर सकती हैं। क्षेत्रीय विकास

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

समिति के अन्तर्गत कल्याण समितियों का संगठन किया गया है। ये कल्याण समितियां अन्य जन–कल्याण कार्यों के साथ–साथ युवक कल्याण कार्यक्रमों की भी देखभाल करती हैं। अतएव विकास–क्षेत्र युवक समिति के स्तर पर एक युवक कार्यकारिणी समिति बनायी जाय और इस कार्यकारिणी समिति में युवक समिति के निर्णय के अनुसार क्षेत्र की कल्याण समिति के सदस्यों को बुलाया जाय। इस प्रकार कार्यकारिणी समिति का रूप निम्न होगा:–

सभापति, उप–सभापति, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, दो युवक सदस्य, दो कल्याण समितियों के मनोनीत सदस्य।

बैठक–

कार्यकारिणी समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। पहली बैठक को जून मास में और उसी के अनुसार अन्य बैठकों को क्रम से सितम्बर, दिसम्बर व मार्च के महीने में आयोजित किया जाय।

कार्यालय–

समिति का कार्यालय विकास क्षेत्र के मुख्य कार्यालय पर होगा।

जिला–स्तरीय युवक समितियां

सदस्यता–

जिला युवक परिषद् उन जिलों में स्थापित की जा सकती है, जिनके ५ विकास क्षेत्रों या जिले के ७५ प्रतिशत विकास क्षेत्रों में, जो भी संख्या कम हो, युवक समितियां स्थापित हो चुकी हों। प्रत्येक विकास क्षेत्र की युवक समिति के सभापति तथा समिति द्वारा निर्वाचित एक और सदस्य जिला–स्तर की युवक परिषद् के सदस्य होंगे। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विकास क्षेत्र युवक समिति को ५ रू० जिला युवक परिषदों के कोषाध्यक्ष के पास प्रति वर्ष १५ अगस्त तक भेज देना आवश्यक होगा। इस अवधि तक चन्दा न पहुँचने पर जिला परिषद् से मान्यता भंग हो जायेगी, किन्तु मान्यता भंग करने से पहले उन समितियों को, जिनसे चन्दा प्राप्त नहीं हो सका है, स्मृति–पत्र अवश्य भेजे जायें। चन्दा प्राप्त होने पर रसीदें दी जायें।

पदाधिकारियों का निर्वाचन–

प्रारम्भ में जिला संगठनकर्त्ता, प्रान्तीय रक्षक दल, जिनका मुख्य दायित्व ग्रामीण युवक मंगल दल का संगठन करना है, जिला युवक परिषद् की स्थापना करने में अग्रसर होंगे। फलत: निर्वाचन आदि की सूचना सम्बन्धित समितियों को उन्हीं के द्वारा भेजी जायेगी। जिला संगठनकर्त्ता की देख–रेख में निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन विकास क्षेत्र युवक समिति की पद्धति के अनुसार आयोजित किया जायेगा:–

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष।

जिला–स्तरीय युवक कार्यकारिणी समिति

इस समिति का रूप निम्न प्रकार होगा :–

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

१– अध्यक्ष

२– उपाध्यक्ष

३– मंत्री

४– संयुक्त मंत्री

५– कोषाध्यक्ष

६– दो युवक सदस्य

७– अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों में से दो मनोनीत सदस्य।

जिला–स्तर पर युवक परिषद् अन्तरिम जिला परिषद् से निवेदन कर सकती है कि वह युवक संगठन के कार्यक्रमों को जिला–स्तरीय युवक कार्यकारिणी समिति द्वारा संचालित करें।

बैठक–

जिला युवक परिषद् की बैठकें वर्ष में दो बार–जून और अक्तूबर में बुलाई जायें। कार्यकारिणी समिति की बैठकें त्रैमासिक होंगी। कोरम तथा आवश्यक बातें विकास क्षेत्र युवक समितियों के अनुसार होंगी।

कार्यालय–

परिषद् का कार्यालय जिला नियोजन अधिकारी के कार्यालय में होगा।

प्रादेशिक युवक समिति

सदस्यता–

प्रादेशिक युवक परिषद् में जिलों से चुने हुए एक–एक प्रतिनिधि होंगे। इन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रादेशिक युवक समिति का गठन होगा। ये प्रतिनिधि युवक कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। इसके पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे:–

१– अध्यक्ष

२– उपाध्यक्ष

३– मंत्री

४– संयुक्त मंत्री

५– कोषाध्यक्ष

६– प्रत्येक कमिश्नरी के प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ एक–एक सदस्य।

जब तक जिला–स्तर पर प्रादेशिक युवक परिषद् के प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक इस अन्तरिम अवधि में अस्थायी प्रादेशिक युवक परिषद् कार्य करेगी। इस अस्थायी समिति के सदस्य प्रदेश के प्रत्येक मण्डल से उप–विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत होंगे। यथा संभव मनोनीत युवक अपने मण्डल की किसी जिला–स्तरीय युवक परिषद् के अध्यक्ष हों। यह

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

मनोनीत युवक प्रादेशिक स्तर पर अपना एक संयोजक नियुक्त करेंगे। संयोजक का कार्यालय, निदेशक युवा संगठन (प्रान्तीय रक्षक दल) के मुख्य कार्यालय में होगा। जिन जिलों में जिला–स्तरीय युवक परिषदें स्थापित हो चुकी हैं, उनकी परिषदें प्रादेशिक युवक परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त कर सकती हैं। इस हेतु उन्हें प्रति वर्ष १० रू० चन्दे के रूप में देना होगा। यह चन्दा प्रति वर्ष २ अक्तूबर तक प्रादेशिक युवक परिषद् के संयोजक के पास पहुंच जाय। जिला–स्तरीय युवक समितियों से प्राप्त रुपया डाकखाने या किसी बैंक में जमा कर दिया जाय। संयोजक अन्य जिलों में जिला–स्तरीय युवक परिषदों को स्थापित करने के लिये भ्रमण भी करेंगे। प्रादेशिक युवक परिषद् की बैठकें, उसका लेखा–जोखा तथा उसकी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था निदेशक, युवा कल्याण संगठन की देख–रेख में हुआ करेगी।

बैठक—

प्रादेशिक युवक परिषद् की बैठकें वर्ष में दो वार हुआ करेंगी और बैठकों की तिथि संयोजक द्वारा निर्धारित की जायेगी। कोरम तथा अन्य आवश्यक नियम विकास क्षेत्र समिति तथा जिला–स्तरीय युवक परिषद् की पद्धति के अनुसार होंगे। यह अस्थायी प्रादेशिक युवक समिति इस बात का प्रयत्न करती रहेगी कि अधिक से अधिक जिलों में जनपदीय युवक परिषदें स्थापित हो जायें तथा अधिक से अधिक गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हो जाय। ये परिषदें राष्ट्रीय स्तर पर युवक परिषदों से सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं।

आर० डी० केवलरमानी,
आई० पी० एस०
निदेशक, युवा कल्याण संगठन एवं
प्रशासकीय समादेष्टा, प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com